



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-38/2024 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

1. मदनलाल पुत्र पुर्णराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. नरसी पुत्र पुर्णराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. उदी देवी पत्नी हरचन्द जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णलाल पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. गोपीचन्द पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. पतराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. भेराराम उर्फ खेतपाल पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. श्रवण कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. शिशपाल पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादीगण

श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 8

निर्णय दिनांक- 22-3-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. आराजी जरई चक नम्बर 3 जे.बी.डी. के प.नं. 14/15 के किला नम्बर 17 की 0.025 है. दक्षिणी पासा, 18 की 0.025 है. दक्षिणी पासा, 23-24 की 0.506 है., प0नं0-14/16 के किला नम्बर 2-3 की 0.506 है. कुल 1.062 है. तहसील रावतसर के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के,
2. आराजी जरई चक 3 जे.बी.डी. के प.नं. 14/15 के किला नं. 17 की 0.228 है. उत्तरी पासा की, 18 की 0.228 है. उत्तरी पासा की, प.न. 234/35 के किला न. 13, 18 की 0.506 है., 23/1 की 0.215 है., 24/1 की 0.051 है., प.नं. 234/36 के किला न. 3 ता 5 की 0.759 है., प.नं. 234/44 के किला नम्बर 1 ता 4 की 1.012 है., किला नं. 5/1 की 0.228 है., 5/2 की 0.025 है. गै.मु. खाला कुल 3.252 है. तहसील रावतसर की भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 1 को 0.480 है., प्रतिवादी नम्बर 2 को 0.464 है.,

22/3/24  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

प्रतिवादी नम्बर 3 को 0.345 है, प्रतिवादी नम्बर 4 को 0.691 है, प्रतिवादी नम्बर 5 को 0.463 है, प्रतिवादी नम्बर 6 को 0.345 है, प्रतिवादी नम्बर 7 को 0.464 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगे।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.3.2024 को जारी की गई।

02/3/24  
(संजय कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
राजपुर